

श्याम सुन्दर वगैरह बनाम् मदनलाल वगैरह राजस्व वाद 72/2019

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 72/2019

बनाम -
1. श्याम सुन्दर पुत्र मदनलाल
2. माणकलाल दत्तक पुत्र बलदेवराम
जातियान-जाट निवासीगण-सोमणा, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -
1. मदनलाल पुत्र सताराम
2. बलदेवराम पुत्र सताराम
जातियान-जाट निवासीगण-सोमणा, तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री रामनारायण चौधरी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्ता वादीगण
मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री मुकेश बिडियासर व प्रतिवादी संख्या 3
राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -

तहसीलदार जायल पक्षकारान की उपस्थिति में विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 1152/1502,
1156,1191,1280,1334,366,367,368,369,373 ग्राम-सोमणा तहसील जायल के विभाजन प्रस्ताव
बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक: रा.म./न्याय/स्था.
/प-51/2008/विधि/10546/05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में
तैयार कर आगामी तारीख पेशी 16/06/2019 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।



16/06/2019
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)